



2026:AHC:32311

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2194/2026

विक्रांत हुड्डा, कांस्टेबल

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

अनुरा सिंह, श्याम शरण श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनुरा सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका में एकमात्र प्रार्थना यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2, अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ ज़ोन, मेरठ के समक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 23 के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण किया जाए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ ज़ोन, मेरठ, आज से दो माह की अवधि के भीतर पुनरीक्षण पर निर्णय लें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुनरीक्षण में उठाए गए सभी तर्कों पर विचार किया जाएगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"